ई-मेल

(1)

वर्ष 2011–12 का आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–57 / सम्प्रेक्षा / आई0ए0वाई(सामान्य)11–12 दिनांक 8 अप्रैल–2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–677 / 38–4–11–7–बजट / 2010, दिनांक 7–4–2011 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–13 के अधीन इंदिरा आवास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि में से योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2011–12 में से प्रथम त्रैमास हेतु रू0 250000000 (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात् आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– नवसृजित जनपद छत्रपति शाहू जी महराजनगर को अभी तक केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस जनपद की धनराशि इसके पैतृक जनपदों रायबरेली व सुल्तानपुर को आवंटित की जा रही है। उक्त सम्बन्धित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

4– आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

5– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों एवं संलग्न शासनादेश दिनांक 07–02–2011 में दिये गये निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

6– आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक–"2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0105–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75 / रा0–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

8– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ–186 पर कर ली गयी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ०प्र०।

पत्रॉकः–जीओ–57/सम्प्रेक्षा/आई०ए०वाई(सामान्य) 2011–12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
3– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
4– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5– समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
6– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/ राज्य योजना आयोग–2 नियोजन अनुभाग–4
8– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
9– विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–4 को उनके पत्रांक–57/38–4–11–7–बजट/2010, दिनांक 7–4–2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ०प्र०

पत्र संख्या–जीओ–57/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2011–12, दिनांक 8 अप्रैल–2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि
1	2	3
1	MEERUT	0.00
2	GHAZIABAD	0.00
3	BULANDSHAHAR	25.96
4	G.B. NAGAR*	0.00
5	BAGPAT	0.00
6	SAHARANPUR	36.51
7	MUZAFARNAGAR	0.00
8	MORADABAD	39.59
9	BIJNOR	39.22
10	RAMPUR	22.94
11	J.B.F. NAGAR	11.72
12	BAREILLY	29.93
13	BADAUN	43.12
14	SHAHJAHANPUR	46.06
15	PILIBHIT	39.02
16	AGRA	25.31
17	MAINPURI*	17.33
18	MATHURA	16.11
19	FIROZABAD	0.00
20	ALIGARH	0.00
21	ETAH	15.66
22	KANSHIRAM NAGAR	12.09
23	HATHRAS	0.00
24	JHANSI	9.79
25	JALAUN	11.07
26	LALITPUR	8.09
27	BANDA	9.74
28	HAMIRPUR	6.52
29	MAHOBA	4.94
30	CHITRAKUT	5.95
31	ALLAHABAD	38.28
32	FATEHPUR	33.88
33	PRATAPGARH	37.35
34	KAUSHAMBHI	20.75
35	KANPUR NAGAR	26.79
36	KANPUR DEHAT	26.11
37	ETAWAH	18.36
38	FARRUKHABAD	21.75
39	KANNAUJ	16.16
40	ORRAIYA	18.07
41	VARANASI	20.92
42	GHAZIPUR	37.75
43	JAUNPUR	72.95
44	CHANDAULI	17.60
45	MIRZAPUR	24.37
46	SONBHADRA	18.18

पत्र संख्या–जीओ–57/सम्प्रेक्षा/आईएवाई(सामान्य)/2011–12, दिनांक 2 अप्रैल–2011 का संलग्नक

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि
1	2	3
47	S. R. NAGAR	14.83
48	LUCKNOW	28.62
49	SITAPUR	93.74
50	UNNAO	51.92
51	HARDOI	54.84
52	KHERI	155.97
53	RAE BARELI	47.52
54	GORAKHPUR	72.39
55	DEORIA	78.85
56	KUSHINAGAR	248.97
57	MAHRAJGANJ	65.53
58	BASTI	43.08
59	SIDHARTHNAGAR	27.25
60	S.K.NAGAR	26.31
61	AZAMGARH	55.53
62	MAU	21.08
63	BALLIA	82.22
64	FAIZABAD	28.41
65	BARABANKI	70.43
66	SULTANPUR	41.92
67	AMBEDKARNAGAR	23.90
68	GONDA	80.66
69	BAHRAICH	89.79
70	BALRAMPUR	38.94
71	SHRAWASTI	31.36
	STATE TOTAL	2500.00

(रू0 पचीस करोड़ मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

औ0अ0 5 7/अनु0/11
8/4/11

5

<u>संख्या–677/38–4–11–7बजट/2010</u>

प्रेषक,

रूद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक– 07 अप्रैल,2011

विषयः–. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2011–12 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–04/सम्प्रेक्षा/आई0 ए0 वाई0/2011–12, दिनांक –01 अप्रैल, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष–2011–2012 के लिए अनुदान संख्या–13 में प्रथम त्रैमास हेतुरू0–25.00 करोड़/–(रूपये पचीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

5– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

2/–

6– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्वि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0105–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा–25–रा)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

8– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011 दिनांक– 21मार्च,2011 में दिये गये निर्देशो के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–677(1)/38–9–11 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. संवंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।